राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	609/2013	इश्तियाक अहमद	1. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर। 3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, प्रतापगढ, राजस्थान। 4. जिला आयुर्वेद अधिकारी, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर।
2.	610/2013	बरमालाल लबाना	

आदेश की दिनांक : 21.11.2013

उपस्थित :–

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 609/2013 इश्तियाक अहमद बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्कचार्ज मुंशी सैकण्ड के पद पर दिनांक 1.10.1980 को सिंचाई विभाग में अधिशाषी अभियंता, जाखम सिंचाई परियोजना, खण्ड द्वितीय, धरियावद के यहाँ हुई तथा उसे 2 वर्ष की सेवाऐं पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.1982 से अर्द्धस्थाई घोषित किया गया तथा पुनः आदेश दिनांक 27.10.1983 के द्वारा आदेश दिनांक 07.02.1983 में संशोधन करते हुए अपीलार्थी को दिनांक 01.10.1982 से अर्द्धस्थाई घोषित किया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी की 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 12.07.1991 के द्वारा दिनांक 01.10.1990 से स्थाई घोषित किया गया तथा आदेश दिनांक 12.12.1995 के द्वारा उसे नियमित घोषित कर उसे 800–1250 की वेतन श्रृखला दी गई। अपीलार्थी की 9 वर्ष की संतोषजनक सेवाऐं पूर्ण होने पर उसे आदेश दिनांक 03.08.1998 द्वारा 9 वर्ष का लाभ प्रदान करते हुए वेतन श्रृंखला 2750–4400 प्रदान की गई तथा 18 वर्ष की संतोषजनक सेवाऐं पूर्ण करने पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 03.11.2000 के द्वारा 18 वर्षीय लाभ प्रदान करते हुए 3050–4590 की वेतन श्रृंखला का लाभ

प्रदान किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.04.2001 के द्वारा अधिशेष कर दिये जाने पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में भेजा गया तथा अपीलार्थी को आदेश दिनांक 11.04.2001 के द्वारा राजकीय आयुर्वेद औषधालय, तितरडी, उदयपुर में परिचारक के पद पर पूर्व में प्राप्त वेतन भत्तों पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी अधिशेष होकर समायोजित होने के समय वेतन श्रृंखला 3050–4590 में 3425/– मूल वेतन प्राप्त कर रहा था तथा इसी वेतनमान को निरन्तर रखते हुए अपीलार्थी को जुलाई 2009 तक मूल वेतन 4025/– प्रतिमाह भुगतान हो रहा था। अपीलार्थी द्वारा अपनी 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर 27 वर्ष की सेवा का लाभ अपीलार्थी को प्रदान करने हेतु प्रत्यर्थी संख्या–4 को एक अभ्यावेदन दिनांक 16.10.2008 को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् अपीलार्थी को 27 वर्षीय सेवा का लाभ प्रदान करने के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा मनमानेतौर पर आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2009 पारित कर प्रत्यर्थी विभाग में परिचारक के पद पर समायोजन किये जाने की दिनांक 11.04.2001 से संशोधित वेतन श्रृंखला 2650–4000 में वेतन 3370/– रूपयें कर दिया गया। इसके पश्चात् अपीलार्थी से 13352/– रूपये की रिकवरी कर ली गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रत्यर्थी संख्या–3 को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् भी अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वेतन संशोधन संबंधी आक्षेपित आदेश दिनांक 24.03.2009 को वापस लेकर समस्त बकाया के भुगतान एवं 27 वर्ष का लाभ पूर्व की वेतन श्रृंखला एवं वेतन के अनुसार प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाते रहे लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अपीलार्थी को 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी गलत तरीके से वेतन श्रृंखला एवं वेतन में संशोधन करने के उपरांत प्रदान किया गया।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी को संभागीय आयुक्त उदयपुर के आदेश दिनांक 04–04–2001 के द्वारा उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण के अधीनस्थ परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) पद पर समायोजित किया गया था। जिसमें वेतन श्रृंखला 2550–3200 दर्शायी गयी थी। संभागीय आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की सहमति से समायोजन परिचारक पद पर किया गया था । जिसकी पालना में अपीलार्थी ने परिचारक के पद पर ड्यूटी ज्योईन कर ली है उस समय अपीलार्थी ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं जताई। प्रत्यर्थी विभाग के अन्तर्गत समायोजन के समय कार्यरत परिचारक के निम्नानुसार वेतनमान विद्यमान थे – 2550–3200, 2610–3510, 2650–4000, 2750–4400। प्रत्यर्थी विभाग में परिचारकों के पदनुरूप विद्यमान वेतनमान में 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए दिनांक 1–9–2006 के

वेतन स्थिरीकरण करवाये गये। इसमें भी अपीलार्थी को देय वेतन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई अपितु वेतनमान जो विभागान्तर्गत है. उसी में चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में विभागान्तर्गत कार्यरत पद एवं वेतनमान के अनुरूप आयुर्वेद विभागान्तर्गत पद एवं वेतनमान नहीं थे तो अपीलार्थी को समायोजन पद पर कार्यग्रहण नहीं करना था । राज्य सरकार द्वारा जारी (वेतन के सम्बन्ध में) पार्ट–III चेप्टर 4 में स्पष्ट किया गया है कि जिस विभाग में कार्मिक सरप्लस होने पर उक्त विभाग में समकक्ष पद पर सेवाऐं देने के लिये सहमति पत्र देने पर उस विभाग में देय वेतनमान को स्वीकारना होगा। सिंचाई विभाग का पत्र दिनांक 29–3–2001 जो संभागीय आयुक्त उदयपुर को प्रेषित है, उसमें अंकित है कि अपीलार्थी ने स्वेच्छा से जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, उदयपुर में इनके समकक्ष पद परिचारकों के रिक्त पद पर समायोजन चाहने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सहमति दी है। अतएव अपीलार्थी को समस्त परिलाभ नियमानुसार दिये जा चुके हैं और सेवा पुस्तिका के इन्द्राजो के अनुसार 55/– रु. पीपी स्वीकृत की जाकर तदानुसार वेतन नियतन किया गया है। जो दोराने बहस अवलोकन करा दी जायेगी। अपीलार्थी किसी प्रकार की अनियमितता अथवा नियमों का उल्लंघन वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है।

4. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी अधिशेष होकर समायोजित हुआ था। समायोजित होने से पूर्व अपीलार्थी वेतन श्रृंखला 3050–4590 में 3425 का मूल वेतन प्राप्त कर रहा था। इसी वेतनमान को निरन्तर रखते हुए अपीलार्थी को जुलाई, 2009 तक मूल वेतन 2025 के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान किया जा रहा था, परन्तु 2009 में अपीलार्थी के वेतन श्रृंखला को संशोधित करते हुए 2650–4000 वेतन श्रृंखला कर दी गयी और समायोजित होने की दिनांक 11.04.2001 से पुनः वेतन निर्धारण करते हुए 13352 रूपये की वूसली कर ली गयी। अपीलार्थी को चूंकि अधिशेष घोषित कर दूसरे विभाग में समायोजित किया गया है, ऐसे में अपीलार्थी को संरक्षित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी का वेतन कम किया जाना उचित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी ने समायोजन के लिये सहमति दी है, इस कारण से समायोजन के समय कार्यरत परिचारक के अनुसार वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग ने परिचारक का वेतनमान 2650–4000 है। जिस पर अपीलार्थी का वेतन नियत किया गया है, जो सही था। हमारे मत में अपीलार्थी को स्वेच्छा से अन्य विभाग में नहीं भेजा गया है, बल्कि अपीलार्थी को अधिशेष

घोषित कर दूसरे विभाग में भेजा गया है। अपीलार्थी को समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में जिला आयुर्वेद अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 11.04.2001 से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए परिचारक के पद पर पदस्थापित कर समायोजित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थी जो पूर्व में वेतन प्राप्त कर रहा था उसे अपीलार्थी की स्वैच्छा से समायोजन मानते हुए कम करना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थीगण की अपीलें स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थीगण को उसी वेतन श्रृंखला में रखा जाए, जिस वेतन श्रृंखला में वह आलोच्य आदेश दिनांक 24.03.2009 पारित किये जाने से पूर्व कार्य कर रहा था। अपीलार्थीगण को नियमानुसार 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया जाए एवं अपीलार्थीगण से वसूल की गयी राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाई जाए। इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावे।
6. मूल आदेश अपील संख्या 609/2013 में एवं छायाप्रति अन्य अपील 610/2013 में सलंग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)